



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-32/2019- 1059 दिनांक : 14/11/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/सराईकेला वन प्रमंडल,  
सराईकेला/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल,  
मेदिनीनगर/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,  
हजारीबाग/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत रंगीनी एवं कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु कुल **रु0 238.299 लाख (दो करोड़ अड़तीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-46/2019-42/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-46/2019-91/आ0 व0प0 दिनांक 30.09.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 238.299 लाख (दो करोड़ अड़तीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102090103	41.524
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102090323	196.775
कुल :-		<b>238.299</b>

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख) पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित

कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख) एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यों के लिए संबंधित प्रशिक्षण विद्यालयों को राशि पूर्व में उप-आवंटित कर दी गई है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन समितियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उस समिति से संबंधित सभी अभिलेख एवं उत्पादित लाह से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601102090103, 19S240601102090323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाता/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी, या GeM से किया जाएगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वभोजन,  
  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-32/2019- 1059 दिनांक-14/11/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक -संह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/ मेदिनीनगर/ हजारीबाग/बोकारो /वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान ~~मुख्य वन संरक्षक~~, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-32/2019- 1059 दिनांक-14/11/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ सराईकेला/ चाईबासा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान ~~मुख्य वन संरक्षक~~, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का प्रथम वर्ष का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रथम वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				6.860	60.041	66.901
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125	12500	6.860	60.041	66.901
2	सराईकेला वन प्रमंडल, सराईकेला	125	12500	6.860	60.041	66.901
3	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	125	12500	6.860	60.041	66.901
योग :-		375	37500	20.580	180.123	200.703


  
प्रधान-मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

n

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का प्रथम वर्ष का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रथम वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				5.236	4.163	9.399
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	125	12500	5.236	4.163	9.399
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	5.236	4.163	9.399
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	125	12500	5.236	4.163	9.399
4	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	125	12500	5.236	4.163	9.399
योग :-		500	50000	20.944	16.652	37.596

  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
 झारखण्ड, राँची।

~

(को नाह भं)

[illegible]





## रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (समुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर  
लाह प्रत्येक प्रजाति पराग के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लागूक परिवार कुल 1250 लागूक परिवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2018-20 मजदूरी प्रति मानव दिवस 249.83					द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 287.20					तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 330.40					सकल योग	अवशुक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षों का चिह्नंकन	रु० 2.98 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.373	0.000	0.000	0.373	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.373	प्रति लागूक परिवार 10 परलाह के वृक्षों का चिह्नंकन किया जाएगा जिससे 5-5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट -2 के वृक्षों की कटाई-छटाई करवाई/गर्म माह में की जाएगी।	
2	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में JNRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250		1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750		
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	0.260			0.000	0.000					0.000	0.260	प्रथम वर्ष करवाई/गर्म में सेट-1 के 1250 वृक्षों की कटाई-छटाई (10 वृक्ष प्रति 10 लागूक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छटाई की जाएगी।	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 11735/- प्रति टूलकीट: 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219			0.000						0.000	2.219		
4	वृक्षों की कटाई-छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	3.123			3.123	6250 वृक्ष	3.591			3.591				0.000	6.714	द्वितीय वर्ष का प्रथम दिवस से किया जाएगा।	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 100 कि०ग्राम प्रति वृक्ष: रु० 200.00 प्रति कि०ग्राम					0.000	6250 वृक्ष	12.500			12.500	गर्म वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष			0.000	12.500	कम किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संकलन सेट-1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा द्वाविध वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट-2 के वृक्षों पर संकलन किया जाएगा जिससे कि सेट-1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।	
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष					0.000	6250 वृक्ष	0.898			0.898	6250 वृक्ष	1.032		1.032	1.929		
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)					0.000	6250 वृक्ष	1.875			1.875	6250 वृक्ष	1.875		1.875	3.750		

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2019-20 मजदूरी प्रति मानव दिवस 249.83						द्वितीय वर्ष 2020-21 मजदूरी प्रति मानव दिवस 287.30						तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 330.40						सकल योग	अनुमति
			मौलिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मौलिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मौलिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय					
8	कौटुंबीय छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लघु क परियार @ 6000 रु								7.500		7.500						0.000	7.500			
9	फुन्की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 रु					0.000	6250 रु	0.718			0.718	6250 रु	0.825				0.825	1.544			
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाइ पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250					0.250			0.250		0.000	0.250		0.250	0.750			
11	लाइ पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500				
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000 रु प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200				
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500		0.500			0.500		0.500			0.500	1.500				
	कुल योग-			5.236	3.969	0.510	9.715		8.687	23.625	0.250	32.562		5.338	3.625	0.250	9.213	51.490				
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project Cost			0.194		0.194			0.651		0.651			0.184		0.184	1.030				
	सकल योग-			5.236	4.163	0.510	9.909		8.687	24.276	0.250	33.213		5.338	3.809	0.250	9.397	52.520				

वर्तमान वित्तिय वर्ष के लिए मजदूरी दर भ्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राकलन तैयार किया जाएगा।

प्रधान मुख्यामन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-32/2019/1059

दिनांक - 14-Nov-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72629	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	686,000.00 रुपये छः लाख छियासी हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72630	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	686,000.00 रुपये छः लाख छियासी हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72631	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	686,000.00 रुपये छः लाख छियासी हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

2,058,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये बीस लाख अठारवन हजार

(Sd/-) VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF,DEV.,JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72632	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72633	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72634	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

1,570,800.00

क्रमिक योग:


रुपये छत्तीस लाख अठाइस हजार आठ सौ

3,628,800.00

(BRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	72635	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72636	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	6,004,100.00 रुपये साहठ लाख चार हजार एक सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72637	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	6,004,100.00 रुपये साहठ लाख चार हजार एक सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			



योग:

12,531,800.00

क्रमिक योग:


रुपये एक करोड इकसठ लाख साहठ हजार छः सौ

16,160,600.00

(SRI YAKRAM SINGH GAUR (FS))

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72638	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO, CHAIBASA FOREST DIV.	6,004,100.00 रुपये साहठ लाख चार हजार एक सौ
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				
11	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72639	PLMFOR070 RAHUL KUMAR JFS D.F.O. MEDININAGAR. FOREST DIV.	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				
12	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72640	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				



योग:

6,836,700.00

क्रमिक योग:


रुपये दो करोड उन्तीस लाख सित्तावे हजार तीन सौ

22,997,300.00

(SBI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सीस नं	निकासी एवं व्यवसाय पदा.	आवृत्ति राशि
13	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72641	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	72642	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D.F.O. BOKARO	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			



योग:

832,600.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड अडतीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ

23,829,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI